



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23042024-253817
CG-DL-E-23042024-253817

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1677]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 22, 2024/ वैशाख 2, 1946

No. 1677]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 22, 2024/ VAISAKHA 2, 1946

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2024

का.आ. 1764(अ).— केन्द्र सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4475(अ) तारीख 26 अक्टूबर-2021, एवं 2442 (अ) तारीख 05 जून-2023 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 27 अक्टूबर-2021 एवं 2332 तारीख 06 जून- 2023 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में बिहार राज्य में पारादीप (ओड़िशा) से नुमालीगढ़ (असम) तक कच्चा तेल परिवहन के लिए नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के द्वारा पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 08 सितम्बर-2023, एवं 8 फ़रवरी-2024 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्र सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्र सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाईपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्र सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाईपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्र सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में निहित होगा ।

पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाईपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्र सरकार, सक्षम प्राधिकारी और राज्य सरकार या कारपोरेशन के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी ।

अनुसूची

जिला: कटिहार

राज्य: बिहार

क्रम संख्या	अंचल	मौजा का नाम एवं थाना संख्या	खेसरा संख्या	क्षेत्रफल		
				हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7
1	बरारी	भवानीपुर-183	1690	03	00	00
			1892	02	00	00
2	बरारी	सुखासन-168	880	00	00	40
			882	00	01	30
			883	00	01	00
			884	00	01	10
			886	00	04	50
			893	00	14	00
			897	00	05	40
			899	00	07	60
			907	00	06	70
			908	00	12	60
			906	00	00	20
			910	00	00	80
			909	00	01	00
	बरारी	सुखासन-168	911	00	03	70
			912	00	03	80
			913	00	03	00
			992	00	11	40
			1031	00	01	10
			993	00	00	30

			994	00	04	50
			996	00	15	50
			995	00	03	40
			291	00	01	40
			39	00	01	20
			51	00	00	80
			40	00	08	00
			41	00	07	90
			42	00	07	00
			43	00	04	40
			31	00	01	00
			44	00	01	30
			30	00	06	20
			29	00	09	90
			28	00	07	90
			28/4141	00	01	60
			23	00	08	40
			22	00	03	50
			6	00	04	30
			8	00	02	60
			7	00	00	60
			9	00	11	50
			3	00	00	90
			2	00	01	00
3	कोढ़ा	परमानपुर-123	669	00	02	50
			668	00	09	90
	कोढ़ा	परमानपुर-123	667	00	02	70
			666	00	07	00
			652	00	08	00
			651	00	00	20
			653	00	00	80
			649	00	01	60
			650	00	05	10
			635	00	24	80
			634	00	19	00
			633	00	14	60
			618	00	07	70

619	00	02	40
617	00	11	60
615	00	07	90
614	00	06	70
613	00	00	20
612	00	01	80

[फा. सं. आर-11025(14)/3/2021-ओआर-1/ई-38524]

पी. सोमा कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd April, 2024

S.O. 1764(E).— Whereas by the notification of the Government of India, Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 4475(E) dated the 26th October 2021 and 2442 (E) dated 06 June 2023 and issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India dated the 27th October 2021 and 06 June 2023 and the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in the State of Bihar for the transportation of Crude Oil from Paradip in Odisha to Numaligarh in Assam by Numaligarh Refinery Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 08.09.2023 and 08.02.2024.

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Numaligarh Refinery Limited, free from all encumbrances.

Numaligarh Refinery Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit or legal proceeding shall lie against the Central Government, the competent authority or State Government or Corporation on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE**District: Katihar****State: Bihar**

Sl. No.	Anchal	Mouza Name & Thana No.	Plot No.	Area		
				Hec	Are	Sq. Mtr
1	2	3	4	5	6	7
1	Barari	Bhawanipur-183	1690	03	00	00
			1892	02	00	00
2	Barari	Sukhasan-168	880	00	00	40
			882	00	01	30

		883	00	01	00
		884	00	01	10
		886	00	04	50
		893	00	14	00
		897	00	05	40
		899	00	07	60
		907	00	06	70
		908	00	12	60
		906	00	00	20
		910	00	00	80
		909	00	01	00
		911	00	03	70
		912	00	03	80
		913	00	03	00
		992	00	11	40
		1031	00	01	10
		993	00	00	30
Barari	Sukhasan-168	994	00	04	50
		996	00	15	50
		995	00	03	40
		291	00	01	40
		39	00	01	20
		51	00	00	80
		40	00	08	00
		41	00	07	90
		42	00	07	00
		43	00	04	40
		31	00	01	00
		44	00	01	30
		30	00	06	20
		29	00	09	90
		28	00	07	90
		28/4141	00	01	60
		23	00	08	40
		22	00	03	50
		6	00	04	30
		8	00	02	60
		7	00	00	60
		9	00	11	50
		3	00	00	90

			2	00	01	00
3	Korha	Parmanpur-123	669	00	02	50
			668	00	09	90
			667	00	02	70
			666	00	07	00
			652	00	08	00
			651	00	00	20
			653	00	00	80
			649	00	01	60
			650	00	05	10
			635	00	24	80
			634	00	19	00
	Korha	Parmanpur-123	633	00	14	60
			618	00	07	70
			619	00	02	40
			617	00	11	60
			615	00	07	90
			614	00	06	70
			613	00	00	20
			612	00	01	80

[F. No. R-11025(14)/3/2021-OR-I/E-38524]

P. SOMA KUMAR, Under Secy.